मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 533 /3245 / 17 / मेडि–1 / भोपाल, दिनांक .02.2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
खण्डवा (म.प्र.)।

विषयः– डॉ. गौरव उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, खण्डवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अभिमत।

संदर्भः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा का पत्र क्रमांक 7240–44, दिनांक 14.08.2017।

==0==

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा ने डॉ. गौरव उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, खण्डवा की दिनांक 28.04.2017 से अनाधिकृत अनुपस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस जानकारी के आधार पर डॉ. गौरव उपाध्याय को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंर्तगत दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए थे। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. गौरव उपाध्याय ने दिनांक 05.02.2018 को आरोप–पत्र का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

कृपया प्रतिवाद उत्तर पर आप अपना अभिमत प्रदान करते हुए उत्तर की मूल प्रति के साथ लौटती डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / 534 /3245 / 17 / मेडि–1 / भोपाल, दिनांक .02.2018

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

F 19-26/2018
क्रमांक /542/3256/2017/17/मेडि–1/ भोपाल, दिनांक 21 .02.2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सतना (म.प्र.)।

विषयः– डॉ. संतोष कुमार तोमर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया जिला सतना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अभिमत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 5689, दिनांक 16.08.2017।

==0==

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा डॉ. संतोष कुमार तोमर, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया जिला सतना की दिनांक 01.09.2013 से अनाधिकृत अनुपस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस जानकारी के आधार पर डॉ. संतोष कुमार तोमर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंर्तगत दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए थे। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. संतोष कुमार तोमर ने दिनांक 31.01.2018 को आरोप–पत्र का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

कृपया प्रतिवाद उत्तर पर आप अपना अभिमत प्रदान करते हुए उत्तर की मूल प्रति के साथ लौटती डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रति,

श्री कवीन्द्र कियावत जी
सचिव म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
बल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय : कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच बावत्।

संदर्भ : आपके पत्र क्रमांक मेडि–163/2017/3256 भोपाल दिनांक 23.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सविनय निवेदन है कि मैं अपने पारिवारिक कठिन परिस्थितियों एवं बीमारी की बजह से अपने कर्तव्य पर उपस्थि नहीं हो पाया हूं। कृपया मुझे अपना पक्ष रखने हेतु समय देने का कष्ट करें एवं मेरी पारिवारिक परिस्थितियां सामान्य होने पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाऊंगा।

मैंने अपनी अनुपस्थिति की सूचना सक्षम् अधिकारी तक पहुंचाई थी। अतः विभागीय जांच समाप्त करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद एवं प्रेषित

दिनांक : 31.01.2018

प्रार्थी

डॉ. संतोष कुमार तोमर
चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- गोरैया
जिला - सतना (म.प्र.)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

F19-28/2018-
क्रमांक /539/3236/17/मेडि–1/ भोपाल, दिनांक 21 .02.2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
खण्डवा (म.प्र.)।

विषयः– डॉ. अंकिता अलावा, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, खण्डवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अभिमत।

संदर्भः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा का पत्र क्रमांक 7240–44, दिनांक 14.08.2017।

==0==

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा ने डॉ. अंकिता अलावा, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, खण्डवा की दिनांक 29.04.2017 से अनाधिकृत अनुपस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस जानकारी के आधार पर डॉ. अंकिता अलावा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंर्तगत दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए थे। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. अंकिता अलावा ने दिनांक 06.02.2018 को आरोप–पत्र का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

कृपया प्रतिवाद उत्तर पर आप अपना अभिमत प्रदान करते हुए उत्तर की मूल प्रति के साथ लौटती डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक /540/3236/17/मेडि–1/ भोपाल, दिनांक 21 .02.2018

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Absent-Letter.docx

प्रति

सचिव,
लोक स्वास्थ एंव परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय – भोपाल

संदर्भ :– पत्र क्रमाक :मेडी –241 / 2017 / 3236 भोपाल दिनाक 23.01.18 के संदर्भ मे।

विषय :– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर प्रतिवाद उत्तर देने के विषय में ।

महोदय ,

विनम्र निवेदन है कि मैं डॉ. अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी (M.S. Orthopardics) जिला चिकित्सालय खडंवा में पदस्थ हुँ , मुझे आपका पत्र क्रमाक – मेडी 241 / 2017 / 3236 प्राप्त हुआ जिसमे त्रुटिवश डॉं अंकिता अलावा अंकित हो गया है मेरा वास्तविक नाम डॉं अंकित अलावा है तथा मेरी पदस्थापना जिला चिकित्सालय बडवानी मे थी , स्नोत्कोत्तर पाठयक्रम में मेरा चयन होने के पश्चात मेरे द्वारा chief medical officer को लिखित मे स्नातकोत्तर पाठयक्रम को पूर्ण करने के बाद पुनः जिला चिकित्सालय बडवानी ज्वाईन करने के लिये आवेदन दिया गया था ।

स्नात्कोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मेरे द्वारा पूनः ज्वाईन करने के लिये आवेदन किया गया परंतु मुझे जिला चिकित्सालय बडवानी से लोक स्वास्थ एंव परिवार कल्याण विभाग भोपाल मे permission लेने हेतु मौखिक रूप से बतलाया गया तथा मेरे द्वारा पूनः permission हेतु आवेदन दिया गया परंतु मेरी पदस्थापना आर्डर – क्रमॉक 16 / 1935 – 17–11–16 दिनॉक को पूनः जिला चिकित्सालय बडवानी ना देकर जिला चिकित्सालय खण्डवा की गई।

मेरी पारिवारिक समस्या होने के बावजुद भी मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय खंडवा मे 24.01.2017 को ज्वाईन किया गया तथा मेरे द्वारा समय पर कार्य किया गया , परंतु तारीख 29.04.2017 को मेरे पिता जी का हृदयाघात से निधन होने पर मेरे द्वारा मौखिक रूप से सिविल सर्जन को बताकर मे अपने गृह नगर बड़वानी चला गया था । मुझे जिला चिकित्सालय खडंवा से पुनः ज्वाईन करने हेतु दुरसंचार के माध्यम से भी बतलाया गया था परंतु में उस समय ज्वाईन करने में समर्थ नही था तथा पुनः 30.10.2017 को पत्र कृमॉक 9028 मुझे प्राप्त हुआ जिसमे मुझे वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर पुनः अपने कार्य स्थल पर उपस्थित

होने हेतु कहा गया परंतु मेरी पारिवारिक समस्या हाने के कारण मे ज्वाईन करने मे असमर्थ रहा ।

मुझ पर पत्र कृमाक 3236/2017/241 के अनुसार आरोप अधिरोपित किये गये हैं जिसके अनुसार मेरे द्वारा आरोप कृमाक 1. 2. 3. का प्रतिवाद उत्तर संयुक्त रूप से यह हैं कि मेरे पिता का निधन होने पर तथा मेरी माता जी पदस्थाना बड़वानी मे होने के कारण व मेरी पारीवारीक समस्या हाने कें कारण मैं वर्तमान मे जिला चिकित्सालय खड़वा मे ज्वाईन करने मे असमर्थ हूॅ । यदि मेरी पद स्थापना ज़िला चिकित्सालय खड़वा छोडकर मेरे गृहनगर से समीप जिला चिकित्सालय धार अथवा ....धामनोद.......... अथवा..........रतलाम.......... कर दी जाती हे तो मैं कार्य करने मे समर्थ रहुगा तथा आपके कृतॉर्थ रहॅुगा ।

यही विनय

भवदीय

डा. अंकित अलावा

चिकित्सा अधिकारी

MS Orthopaedics

संलग्न :-

मृत्यु प्रमाण पत्र,

आदेश कृमाक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/16/1935

आदेश कृमाक/विज्ञप्त/2017/9028

प्रतिलिपी मुख्य चिकित्सा स्वास्थय अधिकारी ज़िला बडवानी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय,
सतपुडा-भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 16 / 1935   भोपाल,दिनांक 7 / 11 / 2016

–:: आदेश ::–

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं नियुक्त निम्नलिखित चिकित्सकों को जो उच्च अध्ययन एवं अन्य पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित थे,को उपस्थिति की अनुमति प्रदान करते हुए इनकी पदस्थापना कॉलम कमांक "5" अनुसार की जाती है। अनुपस्थित अवधि एवं इस आदेश के परिपालन में कर्तब्य पर उपस्थिति देने के मध्य की अवधि को डॉयजनान (मृत विकास) घोषित किया जाता है। शेष सेवा शर्ते यथावत रहेंगी :–

क	चिकित्सक का नाम	पी.एस.सी.वर्ष	वर्तमान पदस्थापना स्थान	वर्तमान पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	डॉ मिताली गर्ग (MBBS)	2015	CMHO बुरहानपुर के विकल्प पर।	जिला चिकित्सालय आगर
2	डॉ. अजय उपाध्याय (स्वॉस मेडिसीन)	2011	जिला चिकित्सालय, अलीराजपुर	जिला क्षय केन्द्र, छतरपुर
3	डॉ. नीलेश बघेल (MBBS)	2015	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द पाण्डूर्ना जिला छिन्दवाड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाण्डूर्ना जिला छिन्दवाड़ा
4	डॉ. नेहा पांचाल (DGO)	2011	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, भौरासा, देवास	जिला चिकित्सालय, आगर
5	डॉ. प्रियंका तिवारी (Gynae)	2015	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धाना, सागर	सिविल अस्पताल, बीना, सागर
6	डॉ. अभिषेक जोशी (MBA)	2011	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, सरदारपुर, धार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, सरदारपुर, धार
7	डॉ. निमिशा शर्मा (जोशी)(Paed.)	2013	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, नालछा धार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, सरदारपुर, धार
8	डॉ. घनश्याम लहरपुरे	2015	CMHO अलीराजपुर के विकल्प पर।	सिविल अस्पताल, सौसर, छिन्दवाड़ा
9	डॉ. अंकित अलावा (Ortho.)	2010	जिला चिकित्सालय, बड़वानी	जिला चिकित्सालय, खण्डवा
10	डॉ. अनुपम अत्रे (DCH)	2010	सामु.स्वा.केन्द्र, भगवानपुरा, खरगौन	जिला चिकित्सालय, खरगौन
11	डॉ. रंजित बडोले (MD)	2011	जिला चिकित्सालय, रतलाम	सिविल अस्पताल, गंजबासोदा जिला विदिशा

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

9206
20/12/16

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

..........2

19/12/16

D:\sunil\Sansodhan.doc

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय खण्डवा

क्रमांक/विज्ञप्त/2017/ 9028 खण्डवा दिनांक 30/10/17

प्रति,

डॉ.अंकित अलावा,चिकित्सा अधिकारी,
6/31ए,साईनाथ कॉलोनी,बडवानी,
जिला बडवानी

विषयः– कर्त्तव्य पर उपस्थित होने बाबत ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप दिनाक 29.04.2017 से पिताजी के स्वर्गवास का आवेदन देकर आदिनांकित अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है आपको कार्यालय द्वारा उपस्थिति हेतु अवगत कराया गया था, किन्तु आपके द्वारा उपस्थिति दर्ज नही कराई गई है ।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आप पत्र प्राप्त होते ही वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर तत्काल अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित देवे ।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय खण्डवा
खण्डवा दिनांक

पृ.क्रमांक/विज्ञप्त/2017/

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल ।
2. अपर संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल ।
3. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
4. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।
5. आर.एम.ओ. जिला चिकित्सालय खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय खण्डवा

प्रति, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी
द्वारा सिविल सर्जन
जिला अस्पताल
बड़वानी

विषय :- रिलिविंग के संबंध में

सेवा में,

नम्र निवेदन है कि मैं डॉ. अंकित अलावा जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। मेरा चयन NEET-PG हेतु वर्ष 2013-14 हेतु विषय M.S. Optho में 3 वर्ष के लिये हुआ है। संबंधित कालेज द्वारा 20/7/13 को ज्वाईनिंग प्रात: 11 से मेरी ज्वाईनिंग मांगी गई है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे 20/7/13 को स्वत: रिलिव करने कि कृपा करें। तथा मेरा द्वारा स्नातकोत्तर परिक्षा में 3 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे द्वारा पुन: जि. चि. बड़वानी में सेवा देने प्रदान करने हेतु कृतार्थ करें।

यही विनय

-SH

दिनांक
19/7/2013

विनीत [signature] 19/7/13
डॉ. अंकित अलावा
जि. चि. बड़वानी
(म. प्र.)

Recd 19/7/13